की वजह से स्टील इंडस्ट्री की प्रोडक्शन या कंज़म्पशन में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है? Please give a specific reply.

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता निश्चित रूप से वाजिब है और उनसे मेरी बात भी होती रहती है। मैंने पहले ही यह बात कही है कि इस समय स्टील इंडस्ट्री तनाव के दौर से गुजर रही है। इसको उबारने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क और सावधान है। समय रहते हमें जो उपाय करने चाहिए थे, वे उपाय भी हमने किए हैं और आने वाले कल में सरकार और कदम भी उठाएगी, इसमें सरकार को किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः आप यह बताएं कि क्या कदम उठाए गए हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः गुप्ता जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः प्रेम चन्द जी, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं।

श्री तपन कुमार सेनः आप बताइए न, what steps have you taken? आपने क्या किया है? You have already taken some steps.

श्री सभापतिः तपन जी, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... Let him spell it out.

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः माननीय सदस्य निश्चित रूप से यह जानना चाहते हैं कि 'Make in India' के अंतर्गत स्टील इंडस्ट्री क्या फायदा हुआ? अभी 'Make in India' के अंतर्गत जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ चालू हो रहे हैं और कुछ चालू होने वाले हैं। मैंने पूर्व में यह कहा कि पिछले दो वर्षों में हमारे यहां लगभग 8 मिलियन टन का उत्पादन बढ़ा है, यह निश्चित रूप से अच्छा संकेत है। जैसे-जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का निवेश बढ़ेगा, वैसे-वैसे स्टील की मांग भी बढ़ेगी और जब स्टील की मांग बढ़ेगी, तो हमको उत्पादन बढ़ाने की ओर भी अग्रसर होना पड़ेगा और उसमें लोगों की रुचि भी बढ़ेगी। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: No more supplementary questions on a supplementary question. प्रेम चन्द जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्रेम चन्द जी, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... क्वेश्चन 108...

Separate jails for undertrial and convicted prisoners

*108. SHRI BHUPINDER SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of inmates in most of the jails in the country, are more than the capacity of jails;

(b) whether Government is contemplating to keep the undertrial prisoners and convicted prisoners in separate jails;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether Government has set up any commission/committee to suggest ways to initiate prison reforms and the funds allotted in the country for this purpose, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIBHAI PARTHIBHAI CHAUDHARY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per data compiled by National Crime Records Bureau (NCRB) from States/UTs, occupancy rates of 112.2, 118.4 and 117.4 were reported during the years 2012, 2013 and 2014 respectively.

(b) and (c) No such proposal is under consideration of the Central Government, at present.

(d) "Prisons" is a State subject as per Entry 4 of List II of the Seventh Schedule of the Constitution and the management and administration of the prisons is the responsibility of the State Governments. However, Government of India has supported the States for prison modernization during 2002 to 2009 under the scheme of Modernisation of Prisons where funds to the tune of ₹ 1347.22 crore were provided as per details given in Statement-I (*See* below). Based on the recommendations of the Thirteenth Finance Commission funds to the tune of ₹ 402.79 crore were released to nine States *viz*. Andhra Pradesh, Telangana, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Kerala, Maharashtra, Mizoram, Odisha, Tripura during 2011-2015 for upgradation of prisons as per details given in Statement-II.

Statement-I

Details of Central funds released under the scheme of modernization of prisons during 2002 to 2009

(₹ in crore)

Sl. No.	Name of State	Central funds released during 2002-2009
1.	Andhra Pradesh	81.25
2.	Assam	29.37
3.	Bihar	134.57
4.	Chhattisgarh	28.02
5.	Goa	10.19
6.	Gujarat	49.43
7.	Haryana	77.07
8.	Himachal Pradesh	15.14
9.	Jammu and Kashmir	21.69
10.	Jharkhand	31.69

Sl. No.	Name of State	Central funds released during 2002-2009
11.	Karnataka	40.35
12.	Kerala	24.55
13.	Madhya Pradesh	116.36
14.	Maharashtra	96.85
15.	Manipur	11.79
16.	Meghalaya	12.27
17.	Mizoram	13.30
18.	Nagaland	11.85
19.	Odisha	80.54
20.	Punjab	55.86
21.	Rajasthan	48.83
22.	Sikkim	13.64
23.	Tamil Nadu	71.50
24.	Tripura	20.99
25.	Uttar Pradesh	173.44
26.	Uttaranchal	22.74
27.	West Bengal	53.94
	TOTAL	1347.22

Statement-II

Details of funds released based on recommendations of the Thirteenth Finance Commission during 2011-15

(₹ in crore)

Sl. No.	Name of State	Funds released based on recommendations of the Thirteenth Finance Commission during 2011-15
1	2	3
1	Andhra Pradesh and Telangana	67.5
2	Arunachal Pradesh	5.0
3	Chhattisgarh	97.76
4	Kerala	115.5
5	Maharashtra	30.37

1	2	3
6	Mizoram	21.66
7	Odisha	50.0
8	Tripura	15.0
	Total	402.79

श्री भूपिंदर सिंहः चेयरमैन सर, क्वेश्चन के पार्ट (a) में सरकार ने स्वीकार किया है कि National Crime Record Bureau के मुताबिक कैपेसिटी से बहुत ज्यादा प्रिज़नर्स जेल में रह रहे हैं। सर, मैंने पार्ट (b) में पूछा था कि whether Government is contemplating to keep the undertrial prisoners and convicted prisoners in separate jails. इन्होंने उसका उत्तर दिया, 'No such proposal is under consideration of the Central Government, at present.' क्या फ्यूचर में ऐसा कोई proposal होगा?

सर, मैंने पार्ट (d) में पूछा था कि क्या prison reforms initiate करने के लिए आज तक कोई Committee या Commission set up किया गया है? क्या यह सच है कि 1983 से लेकर अब तक jail reforms के लिए हमारे देश में चार से ज्यादा कमिशन बनाए जा चुके हैं? क्या उन कमिशंस ने ये सुझाव भी दिए थे कि महिलाओं के लिए अलग से कुछ सुविधाएं दी जाएं, जुविनाइल्स के लिए भी अलग व्यवस्था की जाए और इन सबके खान-पान की उचित व्यवस्था हो? जिस हिसाब से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, क्या उनको वहां पर उस हिसाब से डाइट देने की व्यवस्था की जा रही है?

सर, undertrials के लिए जो चार कमिशन बैठाए गए हैं, उन कमिशंस ने इन रिफॉमर्स के लिए क्या-क्या मुद्दे दिए थे? क्या अब तक इस पर चार से ज्यादा कमिशंस बैठे हैं? उन कमिशंस की रिपोर्ट के अनुसार, रिफॉमर्स के ऊपर सरकार ने पिछले दो सालों में क्या कार्य किया है?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति महोदय, इसमें टोटल चार कमेटीज़ बैठाई गई थीं। एक, the Justice Mulla Committee Report, 1983, दूसरी, the R. K. Kapoor Committee, headed by former Director, IB, जो 1986 में बैठी थी। उसके बाद तीसरी, the National Expert Committee on Women Prisoners, headed by Krishna Iyer in 1986 और चौथी कमेटी DG (BPR&D) की अध्यक्षता में 2005 में बैठी थी। इन सभी कमेटियों ने लगभग 650 से ज्यादा सुझाव दिए थे, जिनमें से लगभग 90% सुझाव हमने राज्यों को भेज दिए थे। जो 10 परसेंट हमारे पास था, उसमें 2002 से लेकर 2009 तक नयी जेल बनाने के लिए हमने 1800 करोड़ दिए थे। उसमें हमने Thirteenth Finance Commission में भी पैसा दिया था। आज तक जितने भी सुझाव आए हैं, उनको हमने लागू किया है और राज्यों को हम बार-बार एडवाइजरी भी देते हैं।

आपने महिलाओं के बारे में बात बताई है, तो महिलाओं के लिए भी अलग सुविधा हमारी प्राथमिकता है। अगर बच्चा छोटा है, तो साथ में रखते हैं। उनकी जाँच करने के लिए पुलिस में महिला कांस्टेबल रखते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से महिलाओं का ध्यान रखते हैं।

श्री भूपिंदर सिंहः सर, मैंने कहा था कि 2002 और 2009 के बीच 1347.22 करोड़ रुपये 27

राज्यों को जेल के रिफॉमर्स के लिए, बिल्डिंग्स वगैरह के लिए आवंटित किए गए। Thirteenth Finance Commission में 9 ऐसे राज्यों को पैसे दिए गए थे। इसमें Thirteenth Finance Commission में 80 करोड़ और टोटल 402 करोड़ रुपये लिखे हैं। मैं स्पेसिफिक जानना चाहता हूँ कि जैसे ओडिशा में हमें 80 करोड़ ही मिले, लेकिन Thirteenth Finance Commission का जो कमिटमेंट था, वह Fourteenth Finance Commission में कंटीन्यू नहीं किया गया। तो जो काम वहां अधूरे पड़े हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम आप उसको devolution में मत डालिए। वह काम जो Thirteenth Finance Commission का था, यहां आपने 2015 तक की बात की है और 1 अप्रैल, 2014 से Fourteenth Finance Commission was enforced. तो उसके लिए ओडिशा राज्य के लिए जो पैसा बाकी है और जो दूसरे प्रान्तों ने भी काम किया है, उनका जो पैसा बाकी है और जो प्रपोज़ल हमने भेजा है, उसके ऊपर आप कब तक वह पैसा ओडिशा के लिए और दूसरे राज्यों के लिए सरकार को देंगे?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति महोदय, 'Modernisation of Prisons' योजना के तहत और Thirteenth Finance Commission में ओडिशा को हमने 130 करोड़ रुपये दिए थे। बाद में हमारे गृह मंत्रालय ने Finance Commission से दूसरे फेज में भी 13,000 करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन Fourteenth Finance Commission ने यह कहा कि राज्यों को 32 परसेंट से 42 परसेंट ज्यादा पैसा दिया गया है, तो अभी राज्य सरकारें इसमें से पैसा खर्च करें। अभी हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम ओडिशा को बाकी का पैसा दे सकें।

श्री भूपिंदर सिंहः सर, ...(**व्यवधान**)... फ्यूचर के लिए कुछ तो कर सकते हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंहः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने उत्तर में यह बात स्पष्ट की है कि सभी जेलों में लगभग 100 प्रतिशत से ज्यादा undertrial जो अभियुक्त हैं, जो सजा प्राप्त लोग हैं, वे लोग अभी वहां पर रह रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या केंद्र सरकार इस बारे में विचार करेगी कि जो undertrial और जो सजायाफ्ता लोग हैं, एक निश्चित उम्र के बाद या कोई बीमारी होने के बाद क्या उनको छोड़ा जा सकता है, तो क्या इस पर केंद्र सरकार विचार करेगी?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति महोदय, कैदियों को जल्दी छोड़ने के लिए एक बार सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया था तो इसलिए हम Cr.P.C. के Section 436A में सुधार लाए और अंडर ट्रायल में जिन लोगों को सजा होती है, उससे आधी सजा, यानी अगर सजा 7 साल की है और साढ़े 3 साल पूरे हो जाते हैं, तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज और तीन लोगों की एक कमेटी बनाई है। हर पंद्रह दिन में जेल में जाकर वहां जो undertrial हैं, जिनको मृत्युदंड की सजा नहीं हुई है, आजीवन कारावास की सजा नहीं हुई है और उसके सिवाय जो कैदी हैं, अगर उनको सात साल की सजा में से साढ़े तीन साल पूरे हो गए हैं, तो ऐसे कैदियों को हमने रिहा किया है। मेरे पास एक लिस्ट है कि कौन से राज्यों ने कितने कैदियों को रिहा किया है, तो मैं वह State-wise जानकारी दे सकता हूँ।

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, would he place the list on the Table of the House?

SHRI HARIBHAI PARTHIBHAI CHAUDHARY: Yes, I can.

श्री सभापतिः वह information आप दे दीजिए।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेलः सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1347 करोड़ की ग्रांट सभी 27 राज्यों और यूटीज़ को दी है। सर, यह ग्रांट modernisation के लिए दी गई है। कई राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने यह फंड मिलने के बाद भी modernisation का काम नहीं किया है। तो ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने फंड ले लिया है, फिर भी यह राशि वहा खर्च नहीं की है, अन्य जगह खर्च कर ली है?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। नई जेलों के निर्माण के लिए, उनके रिनोवेशन के लिए, स्टाफ के आवास के लिए और पानी के लिए इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में 128 नई जेलें बनीं, 1,579 बैरक निर्माण हुए, 8600 आवास बने। तो उसका पूरा पैसा रिलीज हो गया है, उसमें से डॉयवर्ट नहीं हुआ है। उल्टे कई राज्यों ने तो, जैसे ओडिशा ने 130 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किया। ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं हुआ।

श्री शरद यादवः सभापति जी, यह जो भूपिंदर सिंह जी ने सवाल किया है, उसके बारे में मैं सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और यह विकट समस्या है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 169 जजों को रिकमंड करके भेजा हुआ है। जजों की कमी के चलते भी जेलों में कैदियों की भीड़ बढ़ी हुई है। माननीय मंत्री जी, आप कैबिनेट कमेटी ऑन अप्वॉइंटमेंट में हैं। हां, हो सकता है कि आजकल न हों, लेकिन मेरा अनुभव था इसलिए बोलना पड़ा। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो जजेज़ का अप्वॉइंटमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस broke down हो जाते हैं, जहां देश की दो संस्थाओं के हैड वहां बैठे हुए थे, वहां एश्योरेंस भी दिया गया कि इस मामले को जल्दी से जज्दी निबटाएंगे। जजों की जो कमी है, वह अकेले यहां दिल्ली में नहीं है, अन्य राज्यों में भी है। हाईकोर्ट में भी है और लोअर कोर्ट में भी है। आप जेलों में जो भीड़ है, इस भीड़ को कम करने के लिए क्या करने वाले हैं? एक बड़ी चीज जो है, वह कोर्ट है और उसमें जो केस है, वह पेंडिग है। होम मिनिस्टर साहब से मैं आपके माध्यम से पूछूंगा कि इस मामले में वे क्या गति लाएंगे और कैसे गति लाएंगे, वे सरकार की तरफ से इसका जवाब दें।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): सभापति महोदय, शासन के स्तर पर भी और साथ ही साथ ज्युडिशियरी के स्तर पर भी यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जजों की संख्या चाहे अपर लेवल पर हो अथवा लोअर लेवल पर, जो कि इस समय कम है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा।

*109. [The questioner (SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM) was absent.]

Increase in minimum wages of contract labourers

*109. SHRIMATI SAROJINI HEMBRAM: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government is planning to increase minimum wages of the labourers working under contractors;